

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)  
पीदासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 72/2025

दायर दिनांक: 21.03.2025

उन्वान  
कमलेश पि. रामलाल जाति दांगी नि. सलोतिया तहसील सुनेल

- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

= आदेश :-

दिनांक : 10.05.2025

वादी कमलेश पि. रामलाल जाति दांगी नि. सलोतिया तहसील सुनेल के खाता दुरुरती वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड, कमलेश का आधारकार्ड (692804803167), जनाधार कार्ड (4760842837), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (RJ/15/119/123043), बैंक पास बुक बडीदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्राम सलोतिया का नामा. सं. 301 दिनांक 07.09.1998 एवं तहसीलदार सुनेल की जांच रिपोर्ट पत्रांक राजस्व/2025/515 दिनांक 09.05.2025 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम सलोतिया तहसील सुनेल की जमाबन्दी सम्बत 2074-77 के खाता संख्या 196, 197, 339, 344 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (वादी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र स	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो रेकार्ड में दर्ज की जानी)
1	ग्राम सलोतिया पटवार मण्डल	196	कमल कुमार पि. रामलाल	कमलेश पि. रामलाल
2	सलोतिया तहसील सुनेल	197	कमल कुमार पि. रामलाल	कमलेश पि. रामलाल
3		339	कमल कुमार पि. रामलाल	कमलेश पि. रामलाल
4		344	कमल कुमार पि. रामलाल	कमलेश पि. रामलाल

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड राज0

दिनांक 10.05.2025

क्रमांक:- राजस्व/2025/72

प्रतिलिपी - तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

